सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

10 श्रावण, 1941 (श०)

संख्या- 609 राँची, गुरुवार, 1 अगस्त, 2019 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

संकल्प

25 जुलाई, 2019

संख्या-5/आरोप-1-3/2014-5841 (HRMS)-- श्री अरविन्द कुमार, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-687/03), अपर समाहर्त्ता, खूँटी के विरूद्ध इनके अंचल अधिकारी, जमुआ, गिरिडीह के पद पर कार्यावधि से संबंधित उपायुक्त, गिरिडीह के पत्रांक-2668, दिनांक 11.10.2003 द्वारा प्रपत्र- 'क' में आरोप गठित कर उपलब्ध कराया गया, जिसमें इनके विरूद्ध निम्न आरोप प्रतिवेदित किये गये हैः-

आरोप सं०-1- श्री अरविन्द कुमार, अंचल अधिकारी, जमुआ का पैर फ्रैक्चर हो जाने के फलस्वरूप कार्य करने में असमर्थ रहने के कारण राजस्व कार्यों में बाधा उत्पन्न न हो, इसलिए उन्हें अर्जित अवकाश में जाने तथा कार्य का सुचारू ढंग से निष्पादन हेतु तत्काल अंचल अधिकारी, गिरिडीह को जमुआ अंचल का प्रभार देने का आदेश दिया गया, परन्तु न ही वे अर्जित अवकाश में गये न प्रभार ही सौंपा।

आरोप सं०-2- वे पूरे सितम्बर माह में अपने कार्यालय से अनुपस्थित रहे। यदा-कदा अपने आवास से वे कोई पत्र लिख दिया करते थे।

आरोप सं०-3- दिनांक 14.09.03 को भू-क्रान्ति समारोह गिरिडीह में मनाया गया, जिसमें गिरिडीह जिला के सभी अंचल अधिकारियों को भाग लेने का आदेश दिया गया था, लेकिन श्री अरविन्द कुमार उक्त समारोह में अनुपस्थित रहे। अनुपस्थित रहने हेतु कोई आवेदन भी नहीं दिया।

आरोप सं०-4- दिनांक 15.09.03 को माननीय राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री श्री मधु सिंह ने सभी अंचल अधिकारियों के कार्यों की समीक्षा की, लेकिन श्री कुमार उक्त बैठक में भाग नहीं लिए जिसके कारण माननीय मंत्री, जमुआ अंचल के कार्यों की समीक्षा नहीं कर सके।

आरोप सं०-5- जमुआ अंचल में भूहबंदी के तहत 215.72 एकड़ अधिशेष भूमि प्राप्त हुआ था, उसका वितरण किया जाना था। अंचल अधिकारी के निष्क्रिय रहने तथा भू-धारियों से मिलभगत के कारण 215.72 एकड़ जमीन लाभार्थियों के बीच वितरित नहीं किया जा सका, जबकि भूमि वितरण हेतु 27.05.03 को अधिघोषण तथा 05.06.03 को भूमि का अधिग्रहण हुआ। समारोह में इस जमीन के वितरण हेतु एक माह तक दबाव बनाये रखा गया। अंतिम क्षणों में भूमि सुधार उप समाहर्त्ता 110 एकड़ भूमि वितरण करवा सके। शेष भूमि 105.72 एकड़ का वितरण अभी भी बाकी है।

श्री कुमार के विरूद्ध प्राप्त प्रपत्र-'क' के साथ साक्ष्य तालिका/कागजात नहीं रहने के कारण विभागीय पत्रांक-129, दिनांक 09.01.2004 द्वारा उपायुक्त, गिरिडीह से आरोप पत्र का साक्ष्य उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया तथा विभागीय पत्रांक-226, दिनांक 14.01.2004 द्वारा श्री कुमार से प्रतिवेदित आरोपों के संबंध में स्पष्टीकरण की माँग की गयी। जिसके अनुपालन में श्री कुमार के पत्रांक-44, दिनांक 31.01.2004 द्वारा अपना स्पष्टीकरण समर्पित किया गया।

श्री कुमार के स्पष्टीकरण पर विभागीय पत्रांक-774, दिनांक 11.02.2006 द्वारा राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची से मंतव्य की माँग की गई।

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-4273, दिनांक 12.10.2018 द्वारा श्री कुमार के स्पष्टीकरण पर उपायुक्त, गिरिडीह के पत्रांक-1970/गो०, दिनांक 06.12.2013 द्वारा उपलब्ध कराये गये मंतव्य की प्रति उपलब्ध कराते हुए श्री कुमार के विरुद्ध लगाए गए आरोप पर उपायुक्त, गिरिडीह के मन्तव्य से बिभाग की सहमति प्रतिवेदित की गयी है जिसमें उपायुक्त, गिरिडीह द्वारा श्री कुमार के स्पष्टीकरण पर असहमति दी गयी है ।

श्री कुमार के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप, इनका स्पष्टीकरण एवं उपायुक्त, गिरिडीह एवं राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची से प्राप्त मंतव्य की समीक्षा की गयी।

समीक्षोपरांत, उपायुक्त, गिरिडीह एवं राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची के मंतव्य से सहमत होते हुए श्री कुमार के विरूद्ध झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(i) के अन्तर्गत "निन्दन" का दण्ड अधिरोपित किया जाता है।

Sr No.	Employee Name G.P.F. No.	Decision of the Competent authority
1	2	3
1	ARVIND KUMAR BHR/BAS/3180	श्री अरविन्द कुमार, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-687/03) तत्कालीन अंचल अधिकारी, जमुआ, गिरिडीह के विरूद्ध "निन्दन" का दण्ड अधिरोपित करने के संबंध मे ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अशोक कुमार खेतान,
सरकार के संयुक्त सचिव
जी०पी०एफ० संख्या BHR/BAS/2972

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 609 -- 50